दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, मंगलवार 10 दिसम्बर 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 72

लोकसभा में पारित हुआ आयुध (संशोधन) विधेयक

नई दिल्ली (आरएनएस)। लोकसभा में सोमवार विपक्षी दलों ने अवैध हथियारों पर रोक लगाने के साथ जरूरतमंद लोगों एवं खिलाड़ियों को हथियारों का लाइसेंस जारी करने के लिये उपयुक्त एवं पारदर्शी व्यवस्था बनाने की मांग की। चर्चा के बाद इसे लोकसभा ने मंजूरी दे दी है।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1959 के अधिनियम में कई विसंगतियां थीं और इस विधेयक के माध्यम से उनको दूर किया जा रहा है। इसमें विसंगतियों को खत्म किया जा रहा है तथा खिलाड़ियों को रियायतें दी जा रही हैं। शाह ने कहा कि लोकसभा में 'आयुध (संशोधन) विधेयक-19' को पुराने कानून की विसंगतियों को दूर करने के मकसद से लाया गया । आयुध संशोधन विधेयक को चर्चा एवं पारित कराने के लिए सदन में रखते हुए शाह ने कहा कि 1959 के अधिनियम में कई विसंगतियां थीं और इस विधेयक के माध्यम से उनको दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले के कानून में अवैध हथियार रखने और बनाने वालों दोनों के लिए समान सजा का प्रावधान था और छोटे और बड़े हथियारों को लेकर भेद नहीं किया गया था। विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस की परनीत कौर ने कहा कि अवैध हथियारों पर रोक लगाने और जरूरतमंद लोगों को हथियारों के लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि पहले के काननू

» अवैध हथियारों पर रोक लगाने की मांग

का मकसद भी अवैध हथियारों के रखने पर रोक लगाना था और आशा है कि सरकार इस भावना के अनुरूप ही संशोधन कर रही है। कौर ने कहा कि एक लाइसेंस पर तीन हथियार रखने की व्यवस्था को बरकरार रखा जाए। भाजपा के सत्यपाल सिंह ने कहा कि अवैध हथियारों पर नियंत्रण के लिए हर राज्य में एक विशेष प्रकोष्ठ बनाई जाए जो सिर्फ इसी दिशा में काम कर करे। उन्होंने कहा कि सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में इसका उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाए कि उन्होंने अवैध हथियारों पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया है। सिंह ने कहा कि लाइसेंस जारी करने में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और अवैध हथियारों पर नियंत्रण के लिए कानून का प्रभावी क्रियान्वयन हो। द्रमुक के ए. राजा ने कहा कि अवैध हथियारों पर रोक लगाने के साथ ही सुरक्षा बलों के हथियारों का तय सीमा से अधिक उपयोग करने पर रोक लगाई जाए। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह सुनिश्चित की जाए कि लाइसेंस जारी करने के क्या मापदंड होंगे और लाइसेंस किनको मिलना चाहिए।उन्होंने कहा कि निजी सुरक्षा गार्डों के हथियार लेकर चलने पर नियम तय हों। चर्चा के बाद इस विधेयक को पारित कर दिया गया है।

संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों को दिये गये आरक्षण को दस वर्ष बढ़ाने के प्रावधान वाला संविधान (126वां संशोधन) विधेयक, 2019 सोमवार को निचले सदन में पेश किया गया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक पेश किया। इससे पहले विधेयक पेश किये जाने का विरोध करते हुए तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि यह असंवैधानिक प्रवृत्ति का विधेयक है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया है जो सभी को समानता का अधिकार देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधेयक के माध्यम से सदन में रातों-रात एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्यों का प्रतिनिधित्व समाप्त किया जा रहा है जो ठीक नहीं होगा। 70 साल से इस समुदाय के दो सदस्य सदन में प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। इस पर कानून मंत्री प्रसाद ने कहा कि इस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के सदन में आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ाया जा रहा है जो समाप्त होने जा रहा है।

महत्वपूर्ण एवं खास

सूरत में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग

सूरत (आरएनएस)। गुजरात में सूरत शहर के कोसंबा क्षेत्र में सोमवार को एक प्लास्टिक फैक्ट्री के केमिकल स्टोर में अचानक भीषण आग लग गई। नवापरा गांव के निकट कीम जीआईडीसी में सुमिलोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड नामक प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री की पहली मंजिल पर स्थित स्टोर रूम में रखे केमिकल में आज तड़के लगभग तीन बजे अचानक आग लग गयी और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की आठ गाडियां और दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए। करीब सात घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह दस बजे आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन धुंए को बुझाने में उन्हें दो घंटे और लगे। केमिकल में लगी आग के विस्फोट की आवाज सुनते ही स्टोर रूम के नीचे फैक्ट्री में काम कर रहे लगभग 15 से 20 कर्मचारी फैक्ट्री से सुरक्षित बाहर निकल आए थे। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। लेकिन आग में वहां रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा और विदेश सचिवों के बीच हुई तीसरी बातचीत

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सचिव स्तर की तीसरी 2+2 बातचीत आज नई दिल्ली में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार और विदेश सचिव विजय गोखले ने किया, जबकि ऑस्ट्रेलियाई की ओर से रक्षा सचिव ग्रेग मोरीआर्ती और विदेश सचिव सुफ्रेंसिस एडमसन मौजूद थे।

बातचीत के दौरान द्विपक्षीय रक्षा अनुबंधों से जुड़े मुद्दों, रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और रक्षा प्रौद्योगिकी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। रक्षा सचिव ने दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं के बीच चल रहे रक्षा अनुबंधों पर संतोष व्यक्त किया तथा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और बढ़ाने की रक्षा मंत्रालय की प्रतिबद्धता की जानकारी दी। 2+2 बातचीत से पहले दोनों देशों के रक्षा सचिवों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई।

सोनिया को जन्मदिन पर नेताओं ने दी बधाई

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सोमवार को 73 साल की हो गईं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। हालांकि, देश के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं से दुष्कर्म की बढ़ रही घटनाओं के चलते सोनिया गांधी ने कहा कि वह सोमवार को अपना जन्मदिन नहीं मना रही हैं क्योंकि वह इन घटनाओं से दुखी हैं। सोनिया के जन्मदिन पर उनके घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे । प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जन्मदिन पर ट्वीट किया, सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, सोनिया गांधी हमारी शक्ति और हमारी बड़ी नेता हैं। उस शख्स को जन्मदिन का मुबारकबाद जिसने महिलाओं की शक्ति, हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश के लोगों की क्षमता को खुद में समाहित किया है।

'फास्टैग' का उपयोग करने पायलट परियोजना हैदराबाद हवाई अड्डे पर शुरू

हैदराबाद (आरएनएस)। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पार्किंग हेतु 'फास्टैग' का उपयोग करने के लिए एक पायलट परियोजना हैदराबाद हवाई अड्डे पर शुरू की है। यह पायलट परियोजना दो चरणों में शुरू की गई है। पहला चरण दरअसल एक नियंत्रित पायलट परीक्षण है, जिसके तहत केवल आईसीआईसीआई टैगों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। पायलट परियोजना के दूसरे चरण में सभी अन्य बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले टैगों को कवर किया जाएगा।

टोल प्लाजा पर फास्टैग के उपयोग के अलावा इससे इतर भी इसके इस्तेमाल के लाभों को सुनिश्चित करने के लिए ही यह कदम उठाया गया है। इसकी परिकल्पना 'फास्टैग 2.0' के रूप में की गई है और इसके तहत पार्किंग भुगतान, ईंधन भुगतान इत्यादि को कवर किया गया है। हैदराबाद में सफलता मिलने के बाद यह परियोजना दिल्ली हवाई अड्डे पर भी शुरू की जाएगी। अन्य बैंक जैसे कि एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और आईडीएफसी भी 'फास्टैग 2.0' को लॉन्च करने के लिए मुंबई एवं बेंगलुरू स्थित हवाई अड्डों के अलावा कुछ शॉपिंग मॉल के शीर्ष अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं।

जहां तक पार्किंग में उपयोग किए जाने का सवाल है, फास्टैग युक्त सभी वाहनों के साथ-साथ दिसम्बर, 2017 के बाद बेचे गए सभी वाहन भी स्वतः इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि उनमें पहले से ही फास्टैग लगा हुआ है। 'फास्टैग 2.0' की यात्रा अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल ईंधन भुगतान, ई-चालान के भुगतान, कार्यालयों और निवास पर पहुंच प्रबंधन जैसे कार्यों में किया जा सकता है। जीएसटी परिषद ने भी सभी वाणिज्यिक वाहनों पर फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है, जो 1 अप्रैल, 2020 से ई-वे बिल सृजित करना शुरू कर देंगे। इस एकीकरण से 'जीएसटीएन' को काफी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इससे ई-वे बिल को न जारी करने/गलत जानकारी देने से संबंधित लीकेज की पहचान करने में मदद मिलेगी।

हैदराबाद एनकाउंटर की सुप्रीम कोर्ट 11 को करेगा सुनवाई

नई दिल्ली (आरएनएस)। हैदराबाद में महिला वेटनरी डॉक्टर के साथ गैंगरेप और हत्या के चारों आरोपियों के एनकाउंटर की जांच याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। एनकाउंटर करनेवाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर और एनकाउंटर की जांच की मांग करते हुए सर्वोच्च अदालत में पीआईएल दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और इस मामले पर अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।

हैदराबाद पुलिस के कमिश्नर वीसी सज्जनार ने एनकाउंटर वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया, श्हमारे पास पूरी घटना को लेकर ठोस सबूत हैं। आरोपिंयो को जेल से लाया गया था और सीन रीकंस्ट्रक्शन से लाया गया था। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर हमले की कोशिश की। यह पूरी घटना सुबह 5:40 से 6:15 के बीच हुई। गोली चलाने से पहले आरोपियों को वॉर्निंग भी दी गई थी, लेकिन वह नहीं माने।

एनकाउंटर पर कई नेताओं ने उठाए सवाल

हैदराबाद में महिला डॉक्टर से गैंगरेप और हत्या के आरोपियों के एनकाउंटर को लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही हैं। एक बड़ा वर्ग जहां इस मसले पर हैदराबाद पुलिस की तारीफ कर रहा है तो कुछ लोगों ने इस एनकाउंटर पर सवाल भी खड़े किए हैं। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हर मुठभेड़ की जांच की जानी चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और सीपीआई (एम) लीडर सीताराम येचुरी ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए।

संसद में गूंजा दिल्ली का अग्निकांड, 25 लाख मुआवजा देने की मांग

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली के रानी झांसी रोड इलाके में अनाज मंडी में रविवार को लगी आग की गूंज सुनाई दी। भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के सांसदों ने सदन में इस मुद्दे को उठाया। सोमवार सुबह

राज्यसभा में इसपर भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने-सामने आ गए। अब इसपर कल गृह मंत्री अमित शाह बयान देंगे। वहीं कांग्रेस सांसद राजीव प्रताप रूडी का कहना है कि सरकार मृतकों के शवों को उनके घर पहुंचाने का इंतजाम करे।

25 लाख का मुआवजा दे केंद्र सरकार

बिहार की सारण लोकसभा सीट से सांसद राजीव प्रताप रूडी ने केंद्र सरकार से मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मृतकों के शवों को उनके घर पहुंचाने का इंतजाम भी सरकार करे। कल गृह मंत्री शाह इस अग्निकांड पर बयान देंगे।

उपहार कांड से भी नहीं लिया सबक

राज्यसभा में भाजपा सांसद विजय गोयल ने कहा कि दिल्ली की घटना में 43 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 20 लोग जो घायल हैं वह मृतक के समान ही हैं। दिल्ली में 20 साल पहले हुए उपहार कांड से भी कोई सबक नहीं लिया गया। राजनीति से अलग हटकर हम सभी को एक साथ आना होगा। केवल जांच से कुछ नहीं होगा। यदि देखा जाए तो चांदनी चौक की आधी से ज्यादा इमारतें खतरनाक हैं। हम सभी को सोचना होगा कि जिम्मेदार कौन है।

तय होनी चाहिए जिम्मेदारी

आप के सांसद संजय सिंह ने भी इस कांड को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की मौत हुई है वह मजदूरी करने के लिए यहां आए थे। जिस जगह आग लगी वहां बाहर से ताला लगा हुआ था। अंदर से बाहर निकलने की जगह नहीं थी। यह समय राजनीति का नहीं है। सभी पार्टियों को साथ आकर तय करना होगा कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है।

युवाओं को कार्यक्षेत्रों व सामाजिक जीवन में बढ़ावा देना चाहिएःकोविन्द

» राष्ट्रपति ने नेशनल लीडरशिप पुरस्कार 2018 प्रदान किये

नईदिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को नई दिल्ली में लक्ष्मीपत सिंघानिया-आईआईएम लखनऊ नेशनल लीडरशिप पुरस्कार 2018 प्रदान किये।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्पूर्ण प्रगति की है। अर्थव्यवस्था से लेकर विज्ञान और प्रोद्योगिकी तक, स्वास्थ्य देखभाल से लेकर शिक्षा तक, महिला सशस्त्रीकरण से लेकर सामाजिक न्याय तक हमने महत्वपूर्ण प्रगति की है। विश्व ने हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं, आर्थिक शक्ति, वैज्ञानिक क्षमता, संस्कृति और अनेकता के महत्व को समझा है। हमारे समक्ष बहुत सी गंभीर चुनौतियां हैं। हमें सामूहिक रूप से इन समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, समावेशी विकास की जरूरत, उद्यमिता आधारित संस्कृति का विकास, प्राकृतिक संसाधनों का किफायती उपयोग एवं समाज के सबसे कमजोर तबकों को न्याय सुनिश्चित करना आदि का समाधान ढूंढ़ना चाहिए। ये सामान्य चुनौतिया नहीं है, लेकिन हमने अपने मानक उंचे रखने की प्रतिबद्धता दिखाई है। विभिन्न क्षेत्रों में सही नेतृत्व से हम किसी भी चुनौती से निपट सकते हैं।

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि किसी देश के भविष्य के निर्माण के लिए नेतृत्व आधारशिला होती है। हमें अपने युवाओं को बढ़ावा और समर्थन देना चाहिए चाहे अपनी आजीविका के लिए उन्होंन कोई भी क्षेत्र चुना हो। युवाओं को सामाजिक जीवन में भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यदि हम अच्छे नेतृत्वकर्ताओं को बढ़ावा देंगे तो यहीं नेतृत्वकर्ता भविष्य में देश को आगे ले जायेंगे।

नागरिकता संशोधन बिल गलत साबित हुआ तो ले लेंगे वापसःशाह

» गृह मंत्री ने लोकसभा में किया पेश

नई दिल्ली (आरएनएस)। होम मिनिस्टर अमित शाह ने नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया है। उन्होंने विधेयक पेश करते हुए विपक्ष के ऐतराजों का जवाब देते हुए कहा कि यदि आप लोग इसे गलत साबित कर देंगे तो हम बिल वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर चिंतित हैं, उसी तरह पड़ोसी मुल्कों से आने वाले माइनॉरिटी समुदाय के लोगों के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं।

विधेयक को पेश किए जाने के लिए विपक्ष की मांग पर मतदान करवाया गया और सदन ने 82 के मुकाबले 293 मतों से इस विधेयक को पेश करने की स्वीकृति दे दी। शिवसेना ने बिल को पेश करने के समर्थन में वोट किया है। अब सत्तापक्ष और विपक्ष बिल पर चर्चा करेंगे जिसके बाद इसपर वोटिंग कराई जाएगी। यदि विधेयक लोकसभा से पास हो जाता है तो इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा।गृह मंत्री शाह ने कहा कि विधेयक कहीं भी देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है और इसमें संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया। शाह ने सदन में यह भी कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी देश की आजादी के समय धर्म के आधार पर देश का विभाजन नहीं करती तो इस विधेयक की जरूरत नहीं पड़ती। शाह ने जब विधेयक पेश करने के लिए सदन की अनुमति मांगी तो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि यह अल्पसंख्यकों को लक्ष्य कर लाया गया विधेयक है।

भारत के संविधान के इतिहास पर डिजिटल प्रदर्शनी उद्घाटित

नईदिल्ली (आरएनएस)। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने सोमवार को नई दिल्ली में भारत के संविधान के इतिहास पर डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का आयोजन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने संसद संग्रहालय और लोक सभा सचिवालय अभिलेखागार तथा लोक संपर्क और संचार ब्यूरो के सहयोग से किया है। यह प्रदर्शनी नई दिल्ली के नार्थ ब्लॉक के 8 नम्बर गेट पर 9 से 10 दिसंबर तक चलेगी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर डीओपीटी के सचिव डॉ. सी. चन्द्रमौली और डीओपीटी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनकर गौरव का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक दृष्टि से 9 दिसंबर का दिन बहुत अहम है, क्योंकि 9 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष संविधान को अपनाए जाने के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन पर विशेष बल देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने जीवन में सामूहिक रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो इससे राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य पूरे होंगे।

डॉ. सिंह ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और डीओपीटी के अधिकारियों को राष्ट्रीय शपथ दिलाई। प्रदर्शनी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह इतिहास में झांकने का दुर्लभ अवसर है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी न सिर्फ गागर में सागर की उक्ति को चरितार्थ करती है, बल्कि इसके जरिये स्वतंत्रता से संप्रभु गणराज्य बनने की देश यात्रा भी दिखाई गई है।

प्रदर्शनी में संविधान सभा के सदस्यों की फोटो, संविधान सभा में होने वाली बहसों (श्रव्य), संविधान के निर्माण पर फिल्म, संविधान सभा के सदस्यों के उद्धरण और व्याख्यानों, संविधान की प्रतिकृति, संविधान की प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्यों, निदेशक सिद्धांतों इत्यादि पर पोस्टरों को रखा गया है।

ऐतिहासिक दृष्टि से 9 दिसंबर का दिन बहुत अहम है, क्योंकि 9 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा ने एक प्रस्ताव के जरिये मसौदा समिति का गठन किया था ताकि संवैधानिक सलाहकार द्वारा तैयार किये जाने वाले संविधान के मसौदे की जांच की जाए। इसके तहत संविधान सभा द्वारा लिये गए सभी निर्णयों को प्रभावी बनाया गया, जिनमें संविधान में शामिल किये जाने वाले सभी सहायक विषयों को शामिल किया गया था।